आखिरी जांच: 23 अक्टूबर 2026 · Sugarcane Development and Sugar Industry Department, Government of Uttarakhand

Jila Yojana: Ganna Vikas ki Yojana (District Plan Sugarcane Development: Seed Nursery, Seed and Soil Treatment and Ratoon Care Subsidies, Uttarakhand)

जिला योजना के तहत गन्ना विभाग गन्ना किसानों को बीज पौधशाला, बीज और भूमि उपचार के रसायनों और पेड़ी फसल में कीट नियंत्रण पर अनुदान देता है।

क्या मिल सकता है

गन्ना किसानों को उन्नत बीज पौधशाला पर प्रति हेक्टेयर अनुदान मिलता है, जिसकी दर अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों के लिए ज्यादा है। सभी चीनी मिल क्षेत्रों में बीज और भूमि के कीट और रोगों से बचाव के रसायनों और पेड़ी फसल के कीटनाशकों पर 50 प्रतिशत अनुदान भी मिलता है। इस अनुदान का आधा राज्य सरकार देती है और बाकी गन्ना विकास परिषद और चीनी मिल देते हैं।

किसके लिए है

उत्तराखंड के गन्ना किसान जो सहकारी गन्ना विकास समिति के स्थायी सदस्य हों और जिनका नाम जमीन के रिकॉर्ड में दर्ज हो।

मुख्य शर्तें

- किसान गन्ने की खेती करता हो और सहकारी गन्ना विकास समिति का स्थायी सदस्य हो
- किसान गन्ने की उन्नत किस्मों की खेती करता हो
- किसान का नाम जमीन के दस्तावेजों में दर्ज हो
- ग्राम सभा की चर्चा और गन्ना पर्यवेक्षक के सर्वे के बाद गांव स्तर पर किसान का चयन हुआ हो

आवेदन कैसे करें

1. अपने गन्ना पर्यवेक्षक या गन्ना समिति से मिलें। किसानों का चयन गांव स्तर पर ग्राम सभा की बैठक में जनप्रतिनिधियों की चर्चा से होता है।
2. गन्ना पर्यवेक्षक किसानों के खेतों का सर्वे करता है।
3. अंतिम चयन विभागीय अधिकारी मंजूर करते हैं: गन्ना विकास निरीक्षक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक और सहायक गन्ना आयुक्त।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s36547884cea64550284728eb26b0947ef/uploads/2025/04/2025040711605405 53.pdf#page=122
आधिकारिक PDF: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s36547884cea64550284728eb26b0947ef/uploads/2025/04/2025040711605405 53.pdf#page=122
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/uttarakhand/uk-sugarcane-district-plan-development-subsidies/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।